



CURRENT Affairs BATCH



by

JEET SIR

Infstr. - Project → GS-3 (Eco.)
→ Env. - GS-3 (EIA)

SST
Env.

H T HIV

Great Nicobar Project ✓✓

Green Hydrogen ✓✓

Should HIV testing be mandatory for marriage?

PIR
GS 2

Election Commission of India: Powers & Criticism (P.C)

Supreme Court Order to Remove Stray Dogs ✓✓

High

NITI Aayog ₹ 72K cr.

Great Nicobar Project

Forest rights of tribals not settled for Great Nicobar project: council

Tribal representatives' body complains to Minister; says Andaman and Nicobar administration gave a 'false' report to Centre stating that tribespeople's rights under FRA were settled with regard to diversion of forest land for the ₹72,000-cr. project

Abhinay Lakshman
NEW DELHI

The Andaman and Nicobar Islands administration made a false representation to the Centre claiming that rights of the tribal people under the Forest Rights Act, 2006, had been "identified and settled", which eventually led to forest clearances being granted for the ₹72,000-crore mega infrastructure project on the Great Nicobar Islands, a council representing the Nicobarese has said in a complaint to Union Minister of Tribal Affairs Jual Oram.

The proposed Great Nicobar Island Project will include a transshipment port, an airport, a power plant, and a township.

Local tribespeople had raised several concerns, including the diversion of nearly 13,075 hectares of forest land for the project and its impact on vulnerable groups in the area.

Soon after taking charge



The proposed project on the islands will include a transshipment port, an airport, a power plant, and a township. ISTOCKPHOTO

in 2024, Mr. Oram told *The Hindu* that his Ministry would look into the issues raised by them.

Earlier this year, he said their concerns are "being examined", without going into the details.

Certificate issued

"In the last two months, we have found that the administration in A&NI issued a certificate in 2022 saying the FRA rights were identified and settled, and that the consent for diversion of forest land was taken only after this," a member of the Tribal Council of Little Nicobar

and Great Nicobar told *The Hindu* on Friday.

The council is the key representative body of the Nicobarese on the islands, and has been interacting with the administration on various issues.

The council, in a letter to Mr. Oram dated July 21, clarified that it had not given its consent for the project. "We write to you to inform that the process of settlement of forest rights under the FRA has not even been initiated. Therefore, there is no question of forest rights being settled." The council said it had recently been made

aware of an August 2022 "certificate", issued by the Deputy Commissioner of Nicobar District that claimed the opposite.

According to this forest diversion certificate under the FRA issued on August 18, 2022, a copy of which was seen by *The Hindu*, the administration said: "The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire protected forest area of 121.87 sq. km. and deemed forest of 8.8 sq. km. falling under the project."

However, as reported by *The Hindu* earlier, the Union Territory administration has told the Ministry in its monthly reports that it need not implement the FRA on the islands as the forests there are already protected under the Protection of Aboriginal Tribes Act of 1956 (PAT56).


While the PAT56 gives the administrator of the islands full authority to divert forest land, the FRA allows such diversion only

after rights are first settled and then consent is taken from the Gram Sabhas concerned. It was not clear if the diversion of forest land for the project was made under the FRA or PAT56.


The Centre has maintained that due process was followed for getting clearances. A Gram Sabha meeting held on August 12, 2022, had consented to the diversion of forest land, it said. However, the council says the Nicobarese of Great Nicobar were not part of the meeting.

'Exploring options'

A council member who spoke to *The Hindu* on condition of anonymity said, "We are waiting for the Minister to reply. If it does not come, we will see what other options are available to us." The member said the council's complaint was marked delivered by the post office on July 30, adding that it had also sent an email to Mr. Oram's office but was yet to get a response.



PACIFIC RING OF FIRE



© Encyclopædia Britannica, Inc.

Why in news

₹72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना (जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप शामिल हैं) के लिए वन मंजूरी प्राप्त करने हेतु फॉरेस्ट राइट एक्ट (FRA) के तहत आवश्यक प्रक्रिया और जनजातीय समुदायों की सहमति को दरकिनार किया गया।

About Great Nicobar

- ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का हिस्सा है (600 से अधिक द्वीपों से युक्त)।
- यह द्वीप 910 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है और इसमें समृद्ध वर्षावन, मेंग्रोव और पांडन वनों का विस्तार है।
- यहाँ 2 जनजातीय समुदाय निवास करते हैं: शोम्पेन और निकोबारीज।

परियोजना के प्रमुख घटक:

- ₹72,000 करोड़ लागत वाली यह परियोजना 166 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली है
- इसमें शामिल हैं:
 - एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल
 - सिविल एवं सैन्य उपयोग हेतु हवाई अड्डा
 - 450 MVA की गैस और सौर आधारित विद्युत परियोजना
 - एक पूर्ण टाउनशिप
- इसके लिए 130.75 वर्ग किमी वन भूमि को डायवर्ट किया जाएगा और 10 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की जाएगी
- ANIIDCO (Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd) द्वारा परियोजना क्रियान्वित की जा रही है
- परियोजना का लक्ष्य है: मलक्का जलडमरूमध्य के निकट एक रणनीतिक बंदरगाह स्थापित कर वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाना

Mind Map

Great Nicobar Project

issues

पर्यावरणीय खतरे:

- ग्लेटेया खाड़ी (Galathea Bay) और मेगापोड अभयारण्य को 2021 में सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया
- यह खाड़ी जायंट लेदरबैक कछुए के लिए विश्व का प्रमुख प्रजनन स्थल है
- लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापोड दोनों ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध हैं

issues

जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन:


- "निर्जन भूमि" के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र वास्तव में निकोबारीज की पारंपरिक भूमि रही है
- 2004 की सुनामी के बाद पुनर्वासित जनजातियों को बार-बार लौटने से रोका गया
- शोम्पेन जनजाति, जो बाहरी संपर्क से लगभग अछूती है, बाहरी दुनिया से आने वाली बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है
- परियोजना की कुछ भूमि शोम्पेन की पारंपरिक बस्तियों से ओवरलैप करती है

कानून: FRA बनाम PAT56 विवाद

- FRA (वन अधिकार अधिनियम), 2006: यह अधिनियम स्थानीय और अनुसूचित जनजातियों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों की कानूनी मान्यता देता है
- PAT56 (Protection of Aboriginal Tribes Regulation, 1956): यह पुराने कानून के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में भूमि के डायवर्जन की अनुमति देता है
- प्रशासन PAT56 का उपयोग कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि FRA एक नया और अधिकार-आधारित कानून है, जो PAT56 पर वरीयता रखता है

Issues: ⇒

- पर्यावरण
- जनजाति विस्थापन
- L.T - Turtle
- शक्ति → Ring of fire



Issues: -

1. पर्यावरणीय खतरे

a) गलियारा खाड़ी और मैगापौड अभरण

b) → WIPA 1972 -
Sch-1

GPM
+
Batch

२. जनजातिय अधिकारों व उन्वयन ⇒

1. निम्नकारी जनजाति की पारम्परिक श्रुति
2. इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए अनुमति नहीं ली गई।
3. शीम्पेन जनजाति बाहरी दुनिया से अदुतीय क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में आने पर इन्हें बीमारियाँ लग सकती हैं।

3

आपदा जोखिम: —

यह क्षेत्र " रिग्स ऑफ कोयल " के

अंतर्गत आता है ऐसे में यहाँ

अविद्य में बड़ी दुर्घटना की कारणावली

4

जहाँ में पेड-पॉइंट के

→ समुद्री पारि. (कोयल रीफ)

के गिराया जाना

5


अर्थव्यवस्था का विकास

पर्यावरणीय क्षति के आधार

पर किया है जैसे में SDG एक दिशाचाली योजना है

NOTES.

Emu.
① IBCA
Great Nicobar R & W
↳
↳



P



E



Q



E



E



PRE

→ 90% →

10%

Energy
Sec.

Green Hydrogen

Algae: Methods for utilising the photo-synthesis for hydrogen production



Gas: Natural gas or bio-gas are hydrogen sources with steam reforming or partial oxidation



Oil: Hydrogen is produced with steam reforming or partial oxidation from fossil or renewable oils



Wood: Pyrolysis technology for hydrogen from biomass



Power: Water electrolysis from renewable sources

H₂



Coal: With gasification technology hydrogen may be produced from coal



Alcohols like ethanol and methanol derived from gas or biomass - are rich on hydrogen and may be reforme to hydrogen

❖ **ग्रीन हाइड्रोजन** औद्योगिक क्षेत्रों के **कार्बन उत्सर्जन** को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। ^{101 - 2030}

↳ CC, NDC, पचाहव 501. -) -

❖ भारत का **2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT)** ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इस उभरते क्षेत्र में अग्रणी बनने की इसकी मंशा को दर्शाता है।

❖ **हाइड्रोजन** पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों में से एक है और एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प प्रदान करता है।

❖ **अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA)** के अनुसार, **2050 तक** हाइड्रोजन ऊर्जा मिश्रण का **12%** हिस्सा बनाएगा।

हाइड्रोजन के प्रकार उसके निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं:-

- **ग्रीन हाइड्रोजन:** इसे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है।
- **ब्राउन हाइड्रोजन:** इसे कोयले का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है।
- **ग्रे हाइड्रोजन:** इसे प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जाता है, जहाँ संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है।
- **ब्लू हाइड्रोजन:** इसे प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जाता है, लेकिन इसके उत्सर्जन को कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक का उपयोग करके संग्रहीत किया जाता है।

- **ऊर्जा भंडारण:** ग्रीन हाइड्रोजन को लंबे समय तक संग्रहीत किया जा सकता है, जिससे यह ग्रिड स्थिरता के लिए उपयुक्त बनता है।
- **आर्थिक लाभ:** इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान उप-उत्पाद के रूप में उत्पन्न ऑक्सीजन का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।
- **लचीला ऊर्जा वाहक:** हाइड्रोजन को विभिन्न ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **उत्सर्जन में कमी:** ग्रे हाइड्रोजन के विपरीत, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता।
- **वैश्विक प्रभुत्व:** कई देश ग्रीन हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission):

- शुरुआत: 2023 में ✓
- आवंटन: ₹19,744 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-2030 तक)
- लक्ष्य:
 - ✓ भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र बनाना
 - ✓ 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता
 - ✓ 15 कंपनियों को 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता का आवंटन
- नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
- हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि वह वैश्विक मांग का 10% (यानी 10 MMT) आपूर्ति करने का लक्ष्य रखता है।

LP

50% - 10% ↓

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन से जुड़े प्रमुख चुनौतियाँ: ✓✓

1. नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति संकट ✓

लक्ष्य प्राप्ति के लिए 125 GW समर्पित रिन्यूएबल एनर्जी और 250 TWh बिजली की आवश्यकता होगी - जो भारत की कुल विद्युत उत्पादन का 13% है। ✓

2. कोयला आधारित ग्रिड पर निर्भरता ✓

24x7 इलेक्ट्रोलाइजर संचालन हेतु रात में कोयला आधारित बिजली का उपयोग आवश्यक होगा, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है।

3. बायोमास का दहन ✓

भारत में ग्रीन हाइड्रोजन हेतु बायोमास आधारित मार्ग को मान्यता दी गई है, जो जलाए जाने पर CO₂ उत्सर्जन करता है। ✓

4. तकनीकी बाधाएँ ✓✓

हाइड्रोजन को संपीड़ित या द्रवीभूत करना जटिल है - इसे -253°C पर संग्रहित करना पड़ता है, जो LNG के (-163°C) से भी कठिन है।

5. उच्च लागत

उत्पादन लागत अभी भी उच्च (~\$1.5 प्रति किलोग्राम) है। IRENA के अनुसार, यह लागत 2030 तक कम हो सकती है लेकिन भारी निवेश आवश्यक है।

6. इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण की सीमाएँ

वर्तमान क्षमता 0.4 GW है, जबकि लक्ष्य 2050 तक ~200 GW की है।

7. स्टोरेज सिस्टम महंगा है

फ्यूल सेल्स की लागत अधिक है – जो हाइड्रोजन को ऊर्जा में बदलते हैं।

Should HIV testing be mandatory for marriage?



पक्ष

विपक्ष

अनिवार्य HIV =

- Privacy की उपस्थिति में उल्लंघन
- सामाजिक कब्रिस्तान की बात सकती है
- भेदभाव

५६३

Election Commission of India: Powers & Criticism

प्रश्न (2022): ✓✓

भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा करें, विशेष रूप से आदर्श आचार संहिता के विकास के संदर्भ में। ✓✓

उद्देश्य - लोकतंत्र में पारदर्शी
निष्पक्ष चुनाव करवाना।

ECI ⇒

→ Constitution Body (संवैधानिक)
निकाय

Art 324


- संसद
- राज्य विधानसभा
- रा०
- उपरा०

चुनाव सम्पन्न करवाना ही

CERC के नियुक्त =

मुख्य पुनोप आयुक्त और अन्य
पुनोप आयुक्त (नियुक्ति, सेवा रतन)

कार्यकाव अर्थात् 2023.



ISSUES: \Rightarrow 1. नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का प्रभाव

↳ 2. (← पं. के.) \approx

2. त्रयाप्त सुरक्षा का अभाव

3. वित्तीय स्वायत्ता का अभाव

निर्धस्ता-के

अर्थ \rightarrow संसदीय अनुमान सं न की संवि न विधि।

5) केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की
पुरस्ती ⇒ Law Commission ⇒ CEC & EC → हानि की
255 की रिपोर्ट प्रक्रिया


6) इनके पास राजनितिक हल को सख्त तरीके से समान
हानि का अभाव।

7) सेवानिवृत्ती के बाद राजनितिक पद की लाभान्वितता
पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं

8) स्थायी स्टाफ का अभाव हमारे लिए है - राष्ट्र पर
निर्भरता।

MCA 9 IAS (79)

N ✓
✓



2. KK → 2024 - IPS (111) →
2025 - Mains

3. SS → 2024 selected, 2025 mains

Supreme Court Order to Remove Stray Dogs



Comprehensive Stray Dog Management Plan for Delhi-NCR



Thank

you

